

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

5 मई 2004

(राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायमूर्ति और जी.पी. माथुर, न्यायमूर्ति)

नगर निगम: नगर निगम द्वारा लगाया गया निर्यात कर- 'सभी प्रकार के सीमेंट' पर लगाया गया- अभिनिर्धारित किया कि: अपवर्तक सीमेंट, सीमेंट से अलग है और इसका उपयोग पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है- इसे आम बोलचाल में सीमेंट के रूप में नहीं जाना जाता है इसलिए यह निर्यात कर के दायरे में नहीं आता है।

कानूनों की व्याख्या-राजकोषीय कानून-कानूनों में वस्तुओं की व्याख्या करते समय जैसे कि बिक्री कर अधिनियम, शब्द का लोकप्रिय या व्यावसायिक अर्थ का सहारा लिया जाना चाहिए, वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ का नहीं।

इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा निर्मित अपवर्तक सीमेंट, सीमेंट के रूप में नगर निगम द्वारा लगाए गए निर्यात कर की देयता को आकर्षित करता है।

कोर्ट ने अपील की अनुमति देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि: अपीलकर्ता द्वारा निर्मित अपवर्तक सीमेंट, सीमेंट नहीं है और इसलिए निर्यात कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

2.1. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कानूनों में वस्तुओं की व्याख्या करते समय, जैसे कि बिक्री कर अधिनियम ऐसे शब्दों के वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उनके लोकप्रिय अर्थ या उनमें काम करने वालों द्वारा उनसे जुड़े अर्थ यानी उनके व्यावसायिक अर्थ के लिए होना चाहिए। सीमेंट का उपयोग विशेष रूप से निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है और यह रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु है। इसलिए इसका अर्थ केवल शब्द के लोकप्रिय या व्यावसायिक अर्थ निकाला जाना चाहिए। (184-क, ख; 185-क)

2.2. अपवर्तक सीमेंट का मुख्य गुण यह है कि यह बहुत उच्च तापमान, जंग और घर्षण का सामना कर सकता है। कोई भी भवन निर्माण के उद्देश्य से सीमेंट खरीदने में किसी भी परिस्थिति में एक अपवर्तक नहीं खरीदेगा। इसी प्रकार कोई राजमिस्त्री या पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में सामान्य निर्माण में अपवर्तक सामग्री का उपयोग नहीं करेगा। अपवर्तक सामग्री का उपयोग भट्टियों, अस्तर और तापावरोधन के लिए पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। एक व्यापारी सीमेंट खरीदने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपवर्तक की आपूर्ति नहीं करेगा। इसलिए,

अपीलकर्ता द्वारा उत्पादित अपवर्तक सामग्री 'सभी प्रकार के सीमेंट' की प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आता है और परिणामस्वरूप यह निर्यात कर लगाने के उपयुक्त नहीं है। (185-बी-डी.)

बिक्री कर आयुक्त बनाम मैसर्स जसवन्त सिंह, एआईआर (1967) एसी 1454; भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1972) 2 एससीसी 620; रॉयल हैचरीज प्रा. लिमिटेड बनाम ए.पी. राज्य एवं अन्य (1994) सप्लिमेंट 1 एससीसी 429; इनलप इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1976) 2 एससीसी 241 और इंडियन कंपनी लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, (1994) 6 एससी 610, पर भरोसा किया गया।

सीमेंटों कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, (2002) 8 एससीसी 139, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपील संख्या 7188/1997

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.4.1997 से जो कि एल.पी.ए. 1996 की संख्या 205 में पारित किया गया।

के साथ

सीए 2004 की संख्या 2992

टी. आर. अंध्यारुजिना, अनूप, जी. चौधरी, राजीव शकधर, यू.ए. राणा, सदीप खरेल, अशोक कुमार गुप्ता, फारुख रशीद, साकेश कुमार और सतीश के. अग्निहोत्री पक्षों की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर द्वारा दिया गया।

1. एसएलपी (सी) संख्या 1186 ऑफ 2000 (नगर निगम कटनी बनाम मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड) में अपील की अनुमति प्रदान की गई।

2. सिविल अपील नं. 7188 ऑफ 1997, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 21.04.1997, के विरुद्ध अपील पेश की गयी, जिसमें मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्मित कुछ उत्पादों पर निर्यात कर लगाने से संबंधित मुद्दे का निर्णय किया गया।

3. मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांकित 25.10.1991 में प्रकाशित एक प्रस्ताव, जिसमें नगर निगम कटनी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के भीतर से वस्तुओं के निर्यात पर कर लगाया। अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में प्रविष्टि 1 और 2 इस प्रकार हैं कि:-

क्रमांक	वस्तु का नाम	प्रस्तावित कर
1-	सभी प्रकार के सीमेंट	भेजे गये माल की लागत का 1@2 प्रतिशत
2-	सीमेंट से बनी सामग्री	वस्तु की लागत का 1 प्रतिशत

4. अपीलकर्ताओं एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपवर्तक सीमेंट और एको प्रूफ पर निर्यात कर लगाने को मूल रूप से इस आधार पर चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की कि वे अनुसूची में शामिल नहीं थे क्योंकि वे सीमेंट नहीं थे। रिट याचिका दायर को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन लेटर्स पेटेंट अपील को एक खण्ड पीठ द्वारा अनुमति दी गई और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपवर्तक सीमेंट एक सीमेंट, ताकि निर्यात कर की देनदारी को आकर्षित किया जा सके लेकिन एको प्रूफ एक जल रोधक यौगिक होने के कारण सीमेंट नहीं था और इसलिए निर्यात कर के लिये उपयुक्त नहीं था।

5. मुख्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अपवर्तक सीमेंट, सीमेंट है ताकि निर्यात कर की देनदारी को आकर्षित किया जा सके। अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री

टी. आर. अंध्यारुजिना, उपस्थित होते हुए प्रस्तुत किया कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जोे अपीलार्थी के रूप में उल्लेखित है, (बाद में 'अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित') के देश के विभिन्न हिस्सों में कई कारखाने हैं, जिसमें कटनी में कटनी रिफ़ैक्ट्री वर्क्स के नाम से एक विनिर्माण इकाई भी शामिल है। यह इकाई (1) फायरब्रिक्स; (2) रेमिंग द्रव्यमान; (3) फायरक्ले मोटर्स; (4) उच्च एल्युमिना रिफ़ैक्ट्री बाईन्डर; (5) अपवर्तक कास्टेबल्स; (6) व्हाईथिएट कास्टेबल्स। व्यावसायिक भाषा में उपरोक्त उत्पादों को "अपवर्तक सामग्री के रूप में जाना जाता है और वे "सीमेंट या सीमेंट से बनी सामग्री से पूरी तरह से अलग हैं। अधिकांश अपवर्तक उत्पाद सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचे जाते हैं और केवल थोड़ी मात्रा खुदरा बिक्री के माध्यम से बेची जाती है जबकि सीमेंट गोदामों और थोक व्यापारी नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा निर्मित उत्पादों को किसी भी हद तक उन उद्देश्यों के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है जिनके लिए सीमेंट का उपयोग किया जा सकता है। अपवर्तक सामग्री का उपयोग भट्टियों में उच्च तापमान, क्षरण और घर्षण का सामना करने के लिए किया जाता है और वे सीमेंट के विकल्प के रूप में या निर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग योग्य नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि सीमेंट का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है जिसके लिए अपवर्तक सामग्री का उपयोग किया जाता है और सीमेंट और अपवर्तक के निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह

से अलग है और प्लांट विनिर्माण रिफ़ैक्ट्री का न तो उपयोग किया जा सकता है और न ही किसी भी प्रकार के सीमेंट के निर्माण के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। अपवर्तक के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल भी सीमेंट के निर्माण के लिए आवश्यक मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर, सिलकस मिट्टी और जिप्सम है जबकि अपवर्तक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल बॉक्साइट, कायनाइट और अग्नि मिट्टी है। सीमेंट के निर्माण के लिए बॉक्साइट और फायरक्ले का उपयोग नहीं किया जाता है और दोनों उत्पादों की रासायनिक संरचना और गुण पूरी तरह से अलग हैं। यह भी आग्रह किया गया है कि जहां तक निर्माण गतिविधि का सवाल है, सीमेंट के मामले में लागू होने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानदंड सामान्य तापमान में इसकी ताकत है, लेकिन अपवर्तक के लिए यह उच्च तापमान पर इसकी अपवर्तनीयता है। अंत में विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आम बोलचाल और व्यापार में, अपवर्तक को कभी भी सीमेंट के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इस प्रकार यह आग्रह किया गया है कि अपवर्तक पर निर्यात कर लगाना पूरी तरह से अवैध है क्योंकि उक्त उत्पाद अनुसूची में प्रासंगिक प्रविष्टियों में शामिल नहीं है।

6. नगर निगम, कटनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनूप जी. चौधरी ने प्रस्तुत किया है कि अनुसूची की प्रविष्टि 1 में 'सभी प्रकार के सीमेंट' का उल्लेख है और जब तक सामग्री सीमेंट है, चाहे उसकी

रासायनिक संरचना, प्रकृति कभी भी हो या विशेषता यह उक्त प्रविष्टि द्वारा कवर किया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने "सभी प्रकार के" शब्दों पर जोर दिया है और प्रस्तुत किया है कि यह एक बहुत ही व्यापक प्रविष्टि है और परिणामस्वरूप जिस उद्देश्य के लिए वस्तु/लेख का उपयोग इसके विशेष गुणों और घटकों आदि के कारण किया जाता है, जब तक यह सीमेंट है, यह प्रविष्टि द्वारा कवर किया जाएगा। श्री चौधरी के अनुसार यह तथ्य कि अपवर्तकों का उपयोग भट्टियों में किया जाता है और वे बहुत उच्च तापमान, क्षरण और घर्षण को सहन करने में सक्षम होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह अभी भी सीमेंट है और इसलिए यह प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि एक कर कानून होने के नाते इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए और किसी को केवल उस पर ध्यान देना चाहिए जो स्पष्ट रूप से कहा गया है और चूंकि प्रविष्टि सभी प्रकार के सीमेंट को शामिल करती है, यह अपने कम्पास के भीतर अपवर्तक के साथ सीमेंट भी ले जायेगा।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह जानने के लिए कि "अपवर्तक" क्या है, कुछ शब्दकोशों और तकनीकी पुस्तकों का उल्लेख किया है और उसी पर ध्यान देने के लिये कैम्ब्रिज इनसाक्लोपीडिया- वे सामग्रिया जो उच्च तापमान के संपर्क में आने से न तो विकृत होती हैं और न ही रासायनिक रूप से परिवर्तित होती हैं। यह उन्हें कंटेनरो, संरचनात्मक

सामग्रियों और घटकों के लिए उपयुक्त बनाता है, विशेष रूप से भट्टी अस्तर जैसे धातुकर्म संचालन में। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अपवर्तक में सिलिका, फायरक्ले और एल्यूमिना शामिल हैं। सिंथेटिक अपवर्तक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले उच्च पिघलने वाले कार्बाइड और नाइट्राइड शामिल हैं।

द न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका- उच्च तापमान से विकृत या क्षतिग्रस्त न होने वाली सामग्री, क्रूसिबल, भस्मक, इन्सुलेशन और भट्टियां, विशेष रूप से धातुकर्म भट्टियां बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। अपवर्तकों का उत्पादन कई रूपों में किया जाता है विभिन्न आकृतियों की ढली हुई ईंटे (फायरब्रिक देखें)या थोक दानेदार सामग्रीय प्लास्टिक मिश्रण जिसमें या गीला समुच्चय होता है जिसे जगह-जगह घुसाया जाता है: सूखे समुच्चय से बना कास्टेबलस और एक बाइंडर जिसे बनाया जा सकता है पानी के साथ मिलाया जाता है और कंक्रीट की तरह डाला जाता है: और मोर्टार और सीमेंट के लिए ईंटों का काम करना।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और थिसॉरस- (एक पदार्थ का) जुड़ने या काम करने के लिए कठिन, विशेष रूप से गर्मी, क्षरण प्रतिरोधी पदार्थ आदि।

न्यू बेबस्टर डिक्शनरी और थिसॉरस- बहुत उच्च तापमान पर संलयन के लिये प्रतिरोध तापमान गर्मी के कारण अस्तर भट्टियों के लिए उपयुक्त है।

ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित ऑक्सफोर्ड- गर्मी की कार्रवाई का विरोध फ्यूज करना मुश्किल है (या किसी भी यूनिवर्सल डिक्शनरी तरह से काम करना)

चेम्बर्स 20 वीं शताब्दी डिक्शनरी- विशेष, संलयन की कठिनाई: आग प्रतिरोधी। एक पदार्थ जो उच्च तापमान आदि का प्रतिरोध करने में सक्षम है, जिसका उपयोग भट्टियों आदि की लाइनिंग में किया जाता है।

मैकग्रा-हिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वकोष- उच्च तापमान संरचनाओं या उपकरणों में उपयोग के लिए कई सिरेमिक सामग्रियों में से एक उच्च तापमान शब्द कुछ हद तक अनिश्चित है लेकिन आमतौर पर इसका मतलब लगभग 1800 डिग्री (1000 डिग्री सेल्सियस) से ऊपर होता है, या वह तापमान जिस पर पिघलने या ऑक्सीकरण के कारण सामान्य धातुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ विशेष उच्च तापमान अनुप्रयोगों में, तथाकथित अपवर्तक धातुओं जैसे टंगस्टन, मोलिब्डेनम और टैंटलम का उपयोग किया जाता है।

रिफ़्रैक्टरीज़ का सबसे बड़ा उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, जहां उनका उपयोग ब्लास्ट फर्नेस, हॉट स्टोव और ओपन-एच जैसे उपकरणों की लाइनिंग के निर्माण के लिए किया जाता है।

अपवर्तक के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग चूल्हा भट्टियां, सीमेंट भट्टियां, कांच के टैंक, अलौह धातुकर्म भट्टियों, सिरेमिक भट्टियों, भाप बॉयलरों और कागज संयंत्रों के लिए हैं। रॉकेट, जेट और परमाणु उर्जा संयंत्रों में विशेष प्रकार के अवर्तक का उपयोग किया जाता है। कई अपवर्तक सामग्री, जैसे एल्यूमीनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड भी बहुत कठोर होते हैं और अपघर्षक के रूप में उपयोग किये जाते हैं।

कुछ अनुप्रयोग उदाहरण के लिए विमान ब्रेक लाइनिंग दोनों विशेषताओं का उपयोग करते हैं। अपवर्तक सामग्रियों को आमतौर पर समूहीकृत किया जाता है, (1) जिनमें मुख्य रूप से एल्युमिनोसिलिकेट होते हैं, (2) जो मुख्यतः सिलिका से बने होते हैं, (3) जो मैंगनेसाइट, डोलोमाइट या क्रोम अयस्क से बने होते हैं, उन्हें बुनियादी अपवर्तक कहा जाता है। (उनके रासायनिक व्यवहार के कारण) और (4) एक विविध श्रेणी जिसे आमतौर पर विशेष अपवर्तक कहा जाता है।

8. अपीलार्थी ने इसके द्वारा निर्मित अपवर्तक के संबंध में कुछ तकनीकी आंकड़ा भी रिकॉर्ड पर रखा, जिनका उपयोग लौहा और स्टील

उद्योग व उर्वरक उद्योग में किया जाता है। यह तकनीकी आकड़ा दर्शाता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उपयोग के लिये विभिन्न प्रकार के अपवर्तकों का निर्माण किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अपवर्तक को सीमेंट से अलग माना है।

टैरिफ मद सं० 23 सी.बी.ई एण्ड सी टैरिफ सलाह नं० 75/80 दिनांकित 24.11.1980 इस प्रकार है:

“व्यापार और अन्य सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए इस पर विचार किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि फायर क्ले/रेफैक्टरी मोर्टार और रैमिंग मास का आइटम 68 के तहत वर्गीकृत किया गया है, न कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के आइटम 23 के तहत।”

प्रासंगिक टैरिफ प्रविष्टियां इस प्रकार हैं:

आइटम नं० 23-सीमेंट

मद संख्या	टैरिफ विवरण	शुल्क की दर
23	सीमेंट] सभी प्रकार- 1 गैर पोर्टलैंड सीमेंट	दो सौ

	(साधारण पोर्टलैंड सीमेंट] पॉजोलाना मीट्रिक टन सीमेंट और ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट सहित] चिनाई सीमेंट] तेजी से सख्त होने वाला सीमेंट] कम गर्मी वाला सीमेंट और जलरोधक हाइड्रोफोबिक सीमेंट	रूपये प्रति
2 अन्य सभी		यथा मूल्य चालीस प्रतिशत

मद सं० 68 अन्य सभी सामान, एन.ई.एस

मद संख्या	टैरिफ विवरण	शुल्क की दर
68	अन्य सभी सामान] अन्यत्र नहीं निर्दिष्ट] लेकिन ए अल्कोहोल को छोड़कर मानव उपभोग के लिये अल्कोहलिक शराब सहित सभी प्रकार	यथा मूल्य आठ प्रतिशत

उपरोक्त टैरिफ प्रविष्टियों के आधार पर अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि अपवर्तक सीमेंट नहीं है।

9. ऊपर उल्लेखित तकनीकी सामग्री से पता चलता है कि अपवर्तक मूल रूप से ऐसी सामग्रियां हैं जिनका उपयोग उच्च तापमान संरचनाओं या उपकरणों में किया जाता है। जब अन्य धातुएं पिघलेंगी या ऑक्साईड बनेंगी तो वे एक हजार डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान का सामना कर सकते हैं और उनका उपयोग आमतौर पर भट्टियों आदि की परत बनाने के लिये किया जाता है।

10. वर्तमान मामले के निर्णय के लिये प्रासंगिक कर कानूनों की व्याख्या के लिए लागू किए जाने वाले सिद्धांत को इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा तय किया गया है।

बिक्री कर आयुक्त बनाम मैसर्स, जसवंत सिंह, एआईआर (1967) एससी 1454 में यह अभिनिर्धारित किया था कि बिक्री कर अधिनियम जैसे कानूनों में वस्तुओं की व्याख्या करते समय ऐसे शब्दों के वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनके लोकप्रिय अर्थ या उनसे जुड़े अर्थ का सहारा लिया जाना चाहिए, जो उनमें व्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है, जिसका मतलब है कि उनके व्यावसायिक अर्थ। मिनरल्स और मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था, (1972) 2 एससीसी 620, रॉयल हचरीज प्राईवेट लिमिटेड बनाम राज्य ए.पी व अन्य (1994) पूरक 1 एससीसी 429, इनलप इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ,

(1976) 2 एससीसी 241। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेटरल एक्साइज, (1994) 6 एससीसी 610 में इस सिद्धांत को इस प्रकार बताया गया था:-

.....लेकिन हम यह इंगित करना चाहेंगे कि राजकोषीय कानूनों में प्रासंगिक आईटम या प्रविष्टि का अर्थ लगाते समय, यदि यह रोजमर्रा के उपयोग में से एक है, तो संबंधित प्राधिकारी को सामान्य रूप से, इसका अर्थ यह लगाना चाहिए कि कैसे इसे आम बोलचाल में या वाणिज्यिक दुनिया या व्यापार मंडल में समझा जाता है। इसका लोकप्रिय अर्थ दिया जाना चाहिए। शब्दकोष में दिया गया अर्थ प्रचलित नहीं होना चाहिए। ना ही प्रविष्टि को किसी तकनीकी या वनस्पति या वैज्ञानिक अर्थ में समझा जाना चाहिए। तकनीकी शब्दों के मामले में, इसके लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में लिये जाने वाला दृष्टिकोण लॉर्ड एशर द्वारा उनविन बनाम हैनसन (1891) 2 क्यूबी 115 में इस प्रकार बताया गया है कि-

"यदि अधिनियम आम तौर पर सभी को प्रभावित करने वाले मामलों से निपटने के लिए निर्देशित है, तो इस्तेमाल किए गए शब्द का अर्थ भाषा के सामान्य और सामान्य उपयोग किये जाने वाले शब्दों का अर्थ उनसे जुड़ा होता है। यदि अधिनियम किसी विशेष व्यापार, व्यवसाय के संदर्भ में पारित किया गया है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें उस

व्यापार, व्यवसाय या लेन-देन से परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता और समझता है कि उसका एक विशेष अर्थ है, तो शब्दों को उस विशेष अर्थ वाला माना जायेगा, हांलाकि यह शब्दों के सामान्य या सामान्य अर्थ से भिन्न हो सकता है।

हम केवल यह जोड़ेंगे कि मामले में उचित निष्कर्ष दर्ज करने के लिए सामग्री होनी चाहिए, सामग्री या तो मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य हो सकती है।

प्रासंगिक अधिसूचना में सीमेंट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए इसे उसी तरह समझना होगा जैसा कि यह आम बोलचाल में समझा जाता है। सीमेंट का उपयोग विशेष रूप से निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु है। इसलिए हमें इस शब्द के लोकप्रिय या व्यावसायिक अर्थ पर ही चलना होगा। अपवर्तक का मुख्य गुण यह है कि यह बहुत अधिक तापमान, क्षरण और घर्षण का सामना कर सकता है। सीमेंट का उपयोग सड़कों, पुलों और बांधों आदि के निर्माण के साथ-साथ आम लोगों द्वारा आवासीय या व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिये भी किया जाता है। भवन निर्माण के उद्देश्य से सीमेंट खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपवर्तक नहीं खरीदेगा। इसी प्रकार कोई राजमिस्त्री या पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में सामान्य निर्माण में अपवर्तक सामग्री का उपयोग नहीं करेगा। अपवर्तक का

उपयोग भट्टियों, अस्तर और इन्सुलेशन के लिए पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। एक व्यापारी सीमेंट खरीदने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपवर्तक की आपूर्ति नहीं करेगा। सीमेंटो कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साईज, (2002) 8 एससीसी 139 में यह माना गया है कि यह स्वयं सिद्ध है कि यदि उत्पाद सीमेंट नहीं है, लेकिन सीमेंट जैसे कुछ उद्देश्य के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऐसा उत्पाद सीमेंट नहीं है। इसलिए, हमारी राय है कि अपीलकर्ता द्वारा उत्पादित अपवर्तक सामग्री सभी प्रकार के सीमेंट प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आती है और परिणामस्वरूप यह निर्यात कर लगाने के योग्य नहीं है।

11. नगर निगम, कटनी द्वारा दायर अपील में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा जमा की गई राशि की वापसी से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। हमारे इस निष्कर्ष को मध्यनजर रखते हुये कि अपवर्तक सामग्री निर्यात कर लिये उपयुक्त नहीं है, अपील खारिज होने योग्य है।

12. परिणाम में 1997 के सीए नं0 7188 की अनुमति दी जाती है और निर्णय और उच्च न्यायालय का आदेश जहां तक यह अभिनिर्धारित करता है कि अपीलकर्ता द्वारा निर्मित अपवर्तक सीमेंट है और निर्यात कर के लिये उपयुक्त है, अपास्त किया जाता है। नगर निगम कटनी द्वारा प्रस्तुत, 2004

का सी.ए नं0 2992/ 2000 का एसएलपी नं0 1186 को खारिज किया जाता है।

डी.जी.

अनुमति खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमितेश कुमारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।